



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 20,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-1004/2009 धारा-302/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.देवनारायण पुत्र देवकीनन्दन (हिस्ट्रीशीटर) 2.सुघर सिंह पुत्र देवकीनन्दन 3.चन्दू उर्फ चन्द्रपाल पुत्र देवकीनन्दन 4.प्रेम पुत्र देवकीनन्दन निवासीगण गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री मणिकर्ण  
शुक्ला



विवेचक-  
एसओ संजय  
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना मुस्करा  
का0 ज्ञानेन्द्र कुमार